	श्रीमती शांतादेवी आदि बनाम मांगीलाल आदि मूल दीवानी प्रकरण संख्या 10/2013	

29.05.2018 :–

वकुलाय उपस्थित ।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने वादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी पी सी दिनांक 03.04.2018 का जवाब पेश नहीं करना चाहा । अतः उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण का तर्क रहा कि प्रतिवादी संख्या–13 दिलीप का स्वर्गवास दिनांक 03.03.2018 को हो गया है एवं उसकी पत्नी सरोज, पुत्री प्रियांशी व पुत्र दिव्यांश उसके विधिक उत्तराधिकारी हैं । अतः इन तीनों को अभिलेख पर लेने आदेश प्रदान किया जावे । इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने इन तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता है कि स्वयं अधिवक्ता प्रतिवादी ने दिनांक 03.04.2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि प्रतिवादी संख्या 3 दिलीप का स्वर्गवास दिनांक 03.03.2018 को हो गया है, अतः वादी इस संबंध में कार्यवाही करावे और उसी दिन अर्थात् दिनांक 03.04.2018 को वादीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है । अतः प्रतिवादी संख्या–13 की मृत्यु के संबंध में कोई संदेह भी नहीं रह जाता है एवं यदि उसके वारिसान को अभिलेख पर नहीं लिया गया तो वादीगण के हित प्रभावित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अतः समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी पी सी दिनांक 03.04.2018 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 13 दिलीप के विधिक उत्तराधिकारीगण उसकी पत्नी सरोज, पुत्री प्रियांशी व पुत्र दिव्यांश को अभिलेख पर लाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

वादीगण तद्नुसार संशोधित शीर्षक/वादपत्र प्रस्तुत करे । पत्रावली संशोधित शीर्षक/वादपत्र प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 23.07.2018 को पेश हो ।